रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 1974/फाल्गुन 21, 1895
No. 57] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 1974/PHALGUNA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th March 1974

SUBJECT.—*Procedure for import of raw materials, components and spares by units located in Export Processing Zone, Santa Cruz, Bombay for the licensing period April 1973—March 1974.*

No. 38-ITC(PN)/74.—The procedure for import of raw materials, components and spares by units located in Export Processing Zone, Santa Cruz, Bombay will be as contained in Annexure I to this Public Notice.

ANNEXURE I

Procedure for import of raw materials, components and spares by units located in Export Processing Zone, Santa Cruz, Bombay (SEEPZ)

Licensing Authority

The Deputy Development Commissioner (Imports and Exports), Santa Cruz Export Processing Zone will be the licensing authority to consider applications for imports of raw materials, components and spares.

Form and manner of submission of applications

2. Applications should be made in the form given in Annexure II.

3. Applicant should make a consolidated application covering his requirements for raw materials, components and spares. In the first year, the application

should cover upto 12 months requirements. There will be no last date for submission of applications in a licensing period.

4. Applications may be addressed to the Deputy Development Commissioner (Imports and Exports), Export Processing Zone Santa Cruz Bombay.

5. Applications for import licences should be accompanied by a fee of Rs. 50 irrespective of the value of the goods specified in the application. Application fee should be paid in accordance with the procedure laid down in the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1973-74.

6. Applicants are required to produce Income-tax Verification Certificate/ Registration/Exemption Number in accordance with the prescribed procedure.

Processing of applications

7. Import licences will be issued by the licensing authority based on the recommendation of the Development Commissioner, SEEPZ who will be sponsoring authority. The Development Commissioner will obtain indigenous clearance in respect of the items sought to be imported, from the Department of Electronics of the Government of India, New Delhi.

8. The list of items sought to be imported will be attached to the import licence as certified by the Development Commissioner.

9. In the case of spare parts, no list will be attached to the licence. The licence will be valid for import of spare parts required by the unit for maintenance of its machinery subject to the prescribed value restrictions on imports of restricted items as laid down in the import policy in force.

10. Intimation about the grant of import licence will be given by the licensing authority to the Development Commissioner in the form and manner as may be prescribed for the purpose.

11. Import licence will be subject to the condition, *inter-alia*, that the imported materials shall be used in the licence holder's factory in the Santa Cruz Export Processing Zone for export production.

12. Any imported material which cannot be used for export production for any valid reasons will not be allowed to be disposed of in any other manner except with the prior written permission of the licensing authority.

Exports from Domestic Tariff Area (DTA) to SEEPZ

13. Units located in the Zone desiring to import any materials from DTA should make separate application for the purpose to the licensing authority through the Development Commissioner, indicating the items and their value.

14. While recommending licences in such cases, the development Commissioner will scrutinise the prices at which the materials, in question, will be purchased by the unit in the Zone from DTA.

5. Based on the recommendation of the Development Commissioner, the licensing authority will issue a licence subject to the actual user condition as indicated above. A condition will also be imposed on the licence that the goods shall be imported from DTA and the licence shall not be valid for imports from other countries. Further, it shall be a condition of the licence that the payment in respect of such goods shall be made in Indian non-convertable Rupees.

16. The exporter in DTA will present the shipping bill to the customs authority in the Zone directly for endorsement for permission to export goods from DTA.

17. The Customs authority while allowing the import into the Zone will attest the shipping bill. The shipping bill will also bear a specific endorsement to the effect that it pertains to exports from 'DTA to SEEPZ'.

18. The exporter in DTA will obtain a bank certificate from the bank in the form and manner as prescribed in the Import Policy for Registered Exporters. The bank certificate will also have a specific indication to the effect that it pertains to exports to SEEPZ from DTA.

19. The bank will also attest the invoice.

20. The exporter will claim import replenishment licences from the licensing authority as admissible under the import policy for Registered Exporters on the basis of the shipping bill, the bank certificate and the invoice and the statement of exports in the prescribed form and manner.

ANNEXURE II

Licensing Period

Unit No.

Form of Application for Import of Raw Materials, Components and Spare Parts for Units located in Santa Cruz Export Processing Zone

(This application should be submitted in duplicate to the Development Commissioner, SEEPZ).

Application for a licence for import of goods (other than those falling under the Capital Goods Licensing Procedure), vide Government of India, Late Ministry of Commerce and Industry, Order No. 17/55, dated the 7th December 1955, as amended.

PART I

A. *Particulars of Applicant:*

1. Name of the applicant.

2. Full postal and telegraphic address.

B. Particulars regarding Industrial Unit:

1. (a) Name of the Industry.

(b) Name of the product and the exact purpose for which the raw material is required (preferably the function served by the raw material in the manufacture of the product should be explained).

2. Description of Goods manufactured.

3. Production capacity separately for each store for which different raw materials are desired to be imported.

4. Actual production in the last calendar year.

NOTE.—If there was stoppage of production for any period, indicate the duration of the period and the reasons therefor.

5. Estimated production in the next calendar year.

C. *Particulars of applications:*

1. Particulars of licences issued and imports effected during the last three years.

2. Particulars of raw materials to be imported:

1. Serial Number.

2. Full description of the raw materials should be given.

3. ITC No. and Part.

4. Quantity (Weight/Nos./or other Appropriate accounting unit).

5. Value (c.i.f.) in Rs.. Please attach proforma invoice from intanding supplier in the approved form available with Banks in SEEPZ.

6. Stocks (quantity) held by the applicant on the date of the import application whether in his own godown, lying with the banks under the produce loans account or anywhere also.

7. Expected arrivals (quantity) on the opening date of the import licensing policy period in which the application is being made, against the licences in hand.

(The information should include material to be received which might have been either in transit or ordered or yet to be ordered against the licences in hand).

8. Quantity and c.i.f. value of imported raw materials/components consumed during the last three financial years.

(Itemwise information to be furnished for each year in respect of major items consumed).

9. Quantity and value (ex-factory price) of the production of and products during the last three financial years. (Information to be furnished for each item of production and for each year separately, for which purpose, the items of production can be classified into board groups, if necessary).

10. Registration No. allotted to Income-tax Verification Certificate or exemption therefrom—Also attach attested or photostat copy of the IVC Regn/Exemption Number.

(i) I.V.C. Registration/Exemption Number valid for the licensing period to which the application pertains.

(ii) Previous I.V.C. Registration/Exemption Number.

11. Treasury Receipt No. and date (Treasury receipt to be attached).

12. Where shipment is to be effected from a country different from the country in which goods originated full statement of the reasons for the same should be given.

13. Is a letter of authority desired? If so, name of the firm in whose favour it is desired.

14. *Remarks*:

D. *Spare Parts*:

CIF value of the spare parts to be imported and their description.] Please see attached proforma invoice.

E. *General information to be furnished*:

1. Date of establishment of business in India.

2. Nature of the concern whether Public or Private Ltd., Partnership or Proprietory or Hindu Undivided Family concern.

3. Names of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be.

4. Details of branches or associated companies (Names and locations).

(i) In India.

(ii) Abroad.

5. Has any application been already made by the applicant for goods covered by this application or any other goods covered by this application or any other goods for the same period in any category? If so, give details.

6. Have any branches or associated companies mentioned in (4) or any of the gentlemen named in (3) applied for an import licence for import of the goods covered by this application or any other goods for the same period? If so, give details.

1. I/We hereby declare that the goods for the import of which the application has been made are not meant for use in the manufacture of new articles for which a licence has not been obtained under industries (Development and Regulations) Act, 1961.

2. I/We hereby declare that if this licence is granted the goods will be utilised only for consumption as raw materials or accessories in our factory and that no portion thereof will be sold to or permitted to be used by any other party.

3. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

Signature

Name in block letters

Designation

Residential Address

Date

NOTE.—Applicants are advised to read the licensing instructions for the current period carefully before filling up the Application Form for import licence.

PART II

(To be filled in by the Santa Cruz Export Processing Zone Administration in duplicate).

1. *Particulars of goods recommended for import*:

(i) Requirements in quantity/number as per installed capacity.

(ii) Requirements in value (c.i.f.) as per installed capacity.
(iii) Quantity/Number recommended for import.
(iv) Value (c.i.f.) recommended for import.
(v) End-use.

2. Whether the applicant is a new or existing unit.

3. *Essentiality certified by Department of Electronics vide their letter No.....

Dy. Development Commissioner

Asstt. Development Commissioner
for Development Commissioner, SEEPZ.
S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

साधजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1974

विषय.— लाइसेंस अवधि अप्रैल 1973–मार्च, 1974 के लिए निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड, सान्ताक्रूज, बम्बई में स्थित एककों द्वारा कच्चे माल संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए क्रियाविधि ।

सार्वजनिक सूचना संख्या 38 आई० टी० सी० (पी० एन)/74 निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड, सान्ताक्रूज, बम्बई में स्थित एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों के आयात के लिए क्रियाविधि इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध । में यथा निहित क्रियाविधि ही होगी ।

अनुबंध ।

निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड, सान्ताक्रूज बम्बई (सीप्ज) में स्थित एककों द्वारा कच्चे माल संघटकों एवं फालतू पुर्जों के आयात के लिए क्रियाविधि

लाइसेंस प्राधिकारी

कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों के आयातों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड सान्ताक्रूज के उप-विकास आयुक्त (आयात और निर्यात) लाइसेंस प्राधिकारी होंगे ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के प्रपत्र एवं तरीके

2. आवेदन पत्र अनुबंध 2 में दिए गए प्रपत्र में दिए जाने चाहिए ।

3. कच्चे माल, संघयकों एवं फालतू पुर्जों की अपनी जरुरतों को शामिल करते हुए आवेदक को एक समेकित आवेदन पत्र देना चाहिए । प्रथम वर्ष में आवेदन पत्र में 12 माह की जरुरतों को शामिल करना चाहिए । लाइसेंस अवधि में आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी ।

4. आवेदन पत्र निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड, सान्ताक्रूज बम्बई के उप-विकास आयुक्त (आयात एवं निर्यात) को संबोधित किए जाएं ।

*This will be filled in by the SEEPZ administration.

5. आवेदन पत्र में उल्लिखित माल के मूल्य को ध्यान में रखे बिना आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों के साथ 50 रु० का शुल्क भी शामिल किया जाना चाहिए। आवेदन-शुल्क का भुगतान आयात व्यापार नियंत्रण हैन्डबुक, क्रियाविधि, 1973-74 में निर्धारित क्रिया विधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

6. निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, आवेदकों को आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र/पंजीकरण/छूट संख्या प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

आवेदन पत्रों को प्रक्रियागत करना

7. आयात लाइसेंस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे जो विकास आयुक्त, मीप्ज की सिफारिश पर आधारित होगा और वही प्रयोजक प्राधिकारी होगा। विकास आयुक्त आयात के लिए मांगी गई मदों के संबंध में इलैक्ट्रोनिक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त करेगा।

8. विकास आयुक्त द्वारा यथा प्रमाणित की जाने वाली मदों की सूची आयात लाइसेंस के साथ सम्बद्ध की जानी चाहिए।

9. फालतू पुर्जों के मामले में किसी प्रकार की सूची लाइसेंस के साथ नहीं सम्बद्ध की जाएगी। एकक द्वारा उसकी मशीनरी के रख रखाव के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों की आयात के लिए लाइसेंस चालू आयात नीति में प्रतिबंधित मदों के आयातों पर निर्धारित मूल्य प्रतिबंध के अधीन वैध होगा।

10. आयात लाईसेंस की मंजूरी के सम्बन्ध में सूचना उस उद्देश्य के लिए, यथा निर्धारित किए जा सकने वाले प्रपत्र में और विधि से विकास आयुक्त को लाईसेंस प्राधिकारी देगा।

11. अन्य बातों के साथ साथ, आयात लाइसेंस की यह शर्त होगी कि आयातित माल का उपयोग लाइसेंस धारी को फैक्ट्री में निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात को प्रक्रियागत करने वाले खंड, सान्ताक्रूज में ही किया जाएगा।

12. कोई भी आयातित माल जिसका किन्ही वैध कारणों से निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है लाइसेंस प्राधिकारी को लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य तरीके से बेचने के लिए अनुमेय नहीं किया जाएगा।

घरेलू दर सूची क्षेत्र (डी टी ए) से सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन क्षेत्र को निर्यात

13. घरेलू दर सूची क्षेत्र (डी टी ए) से कोई माल आयात करने के इच्छुक क्षेत्र में स्थित एकक को इस उद्देश्य के लिए माल की मदें और उनके मूल्य निर्दिष्ट करते हुए अलग आवेदनपत्र विकास आयुक्त के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी को देना चाहिए।

14. ऐसे मामलों में लाइसेंसों के लिए सिफारिश करते समय विकास आयुक्त विषयाधीन माल की उन कीमतों की संवीक्षा करेगा जिन पर विषयाधीन माल घरेलू दर सूची क्षेत्र से इस क्षेत्र के एकक द्वारा खरीदा जाएगा।

15. लाइसेंस प्राधिकारी विकास आयुक्त की सिफारिशों पर आधारित एक लाइसेंस ऊपर यथा निर्दिष्ट वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन जारी करेगा। लाइसेंस पर एक शर्त यह मूल लगाई

जाएंगी कि माल धरेलू दर सूची क्षेत्र में आयात किया जाएगा और लाइसेंस दूसरे देशों से आयातों के लिए वैध नहीं होगा। लाइसेंस की यह भी शर्त होगी कि ऐसे माल के संबंध में भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किया जाएगा।

16. धरेलू दर सूची क्षेत्र का आयातक इस क्षेत्र से माल का निर्यात करने की अनुमति के लिए पोतलदान बिल को क्षेत्र में स्थित सीमाशुल्क प्राधिकारी के पृष्ठांकन के लिए सीधे प्रस्तुत करेगा।

17. क्षेत्र में आयात की अनुमति देते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी पोतलदान बिल को साक्ष्यांकित करेगा। पोतलदान बिल पर एक विशेष पृष्ठांकन इस संबंध में भी होगा कि यह, "धरेलू दर सूची क्षेत्र से सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन क्षेत्र" को निर्यात से संबंधित है।

18. धरेलू दर सूची क्षेत्र का निर्यातक बैंक से पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में यथा निर्धारित प्रपत्र में और विधि अनुसार एक बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। बैंक प्रमाणपत्र पर भी इस संबंध में एक विशेष संकेत होगा कि यह धरेलू दर सूची क्षेत्र से सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन क्षेत्र को निर्यात से संबंधित है।

19. बैंक बीजक को भी साक्ष्यांकित करेगा।

20. निर्यातक पोतलदान बिल, बैंक प्रमाणपत्र और बीजक और निर्धारित प्रपत्र और तरीके में निर्यातकों के विवरण पत्र के आधार पर पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत यथा अनुमेय आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राधिकारी से मांगेगा।

अनुबन्ध 2

लाइसेंस अवधि.....

एकक संख्या.....

सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन क्षेत्र में स्थित एककों के लिए कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

(यह आवेदन पत्र विकास आयुक्त, सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन क्षेत्र को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए)।

माल (पूंजीगत माल लाइसेंस क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले माल से भिन्न) के आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के लिए भारत सरकार, भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का यथा-संशोधित आदेश सं० 17/55 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 देखिए।

भाग 1

क : **आवेदक के ब्यौरे**

1. आवेदक का नाम
2. डाक और तार का पूरा पता

ख : **औद्योगिक एकक से संबंधित ब्यौरे**

1. (क) उद्योग का नाम

(ख) उत्पाद का नाम और सही उद्देश्य जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। (उत्पाद के विनिर्माण में कच्चे माल से क्या कार्य लिया जाएगा इसका विशेष रुप से उल्लेख करना चाहिए)

2. विनिर्माण किए गए माल का विवरण

3. जिस विभिन्न कच्चे माल के लिए आयात चाहा गया है उस के प्रत्येक भंडार के लिए अलग अलग उत्पादन क्षमता।

4. पिछले पांचाग वर्ष में वास्तविक उत्पादन

टिप्पणी.— यदि किसी अवधि में उत्पादन रोका गया था तो अवधि की मियाद और उत्पादन रोके जाने के कारणों को निर्दिष्ट कीजिये।

5. अगले पांचाग वर्ष में अनुमानित उत्पादन

ग.— आवेदन पत्रों के ब्यौरे :—

1. जारी किए गए लाइसेंसन्सों और पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयातों के ब्यौरे

2. आयात किए जाने वाले कच्चे माल के ब्यौरे :—

1. क्रम संख्या

2. कच्चे माल का पूरा विवरण देना चाहिए

3. आयात व्यापार नियंत्रण संख्या और भाग

4. मात्रा (भार/संख्या/या अन्य उचित लेखा एकक)

5. मूल्य (लागत बीमा भाड़ा) रुपए में कृपया इच्छुक संभरक से सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन खंड में बैंको के पास उपलब्ध अनुमोदित प्रपत्र में बीजक प्रपत्र संलग्न करें।

6. आयात आवेदन पत्र देने के दिन आवेदक के पास स्टाक (मात्रा) चाहे वह उसके स्वयं के गोदाम में है प्रस्तुत ऋण लेखा के अन्तर्गत बैंकों के पास पड़ा है या अन्य और कहीं पड़ा है।

7. उस आयात लाइसेंस नीति अवधि के शुरु होने वाली तिथि को संभावित आगमन (मात्रा) जिस में कि वर्तमान लाइसेंस के मददे आवेदन किया जा रहा है। (इस सूचना में वर्तमान लाइसेंसों के मद्दे प्राप्त किया जाने वाला वह माल भी शामिल होना चाहिए जो अभी पारगमन में है या जिसके लिए आदेश दिया जा चुका है या जिस के लिए अभी आदेश दिया जाना है)

8. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उपभोग किए गए कच्चे माल / संघटकों की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य। (मदों के अधिकांश भाग के उपभोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए भेजी जाने वाली मदवार सूचना)

9. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादन की और उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य (कारखाना मूल्य) (उत्पादन की प्रत्येक मद के लिए और प्रत्येक वर्ष के लिए सूचना अलग से भरी जानी है जिसके कि यदि आवश्यक हो तो उत्पादन की मदों को बोर्ड के वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है)

10. आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र अथवा इससे मिली छूट के लिए नियत की गई पंजीकरण संख्या—आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र की पंजीकरण/छूट की संख्या की साक्ष्यांकित अथवा फोटोप्रति भी संलग्न करें।

(1) उस लाइसेंस अवधि के लिए वैध आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र पंजीकरण/छूट की संख्या जिससे लाइसेंस संबंधित है।

(2) पिछले आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र पंजीकरण/छूट की संख्या।

11. राजकोष रसीद की संख्या और तारीख (राजकोष संलग्न की जानी है)

12. जब उस देश से भिन्न देश से पोतलदान प्रभावी किया जाना है जिसमें माल उत्पन्न होता तो इसके कारणों को पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।

13. क्या प्राधिकार पत्र की मांग की जाती है? यदि हां, तो उस फर्म का नाम बताएं जिसके नाम में इसकी मांग की जाती है।

14. **टिप्पणियां**

डी० फालतू पूर्जे

आयात किए जाने वाले फालतू पूर्जों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा उनका विवरण	कृपया संलग्न ब्रोशर प्रपत्र देखें

ई. भेजी जाने वाली सामान्य जानकारी

1. भारत में व्यापार की स्थापना की तारीख

2. संस्था किस प्रकार की है सार्वजनिक अथवा निजी लि०, भागीदार अथवा स्वाम्व अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार संस्था है ?

3. जैसा भी मामला हो निदेशकों भागीदारों, स्वामी अथवा कर्त्ता के नाम

4. शाखाओं अथवा सम्बद्ध कम्पनियों के विवरण (नाम तथा स्थान)

(1) भारत में

(2) विदेश में

5. क्या इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए या इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत किसी अन्य माल के लिए या इसी अवधि के लिए किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत किसी अन्य माल के लिए आवेदक द्वारा पहले से ही कोई आवेदन किय गया है ? यदि हां, तो ब्योरे दें ।

6. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित किसी शाखा अथवा सम्बद्ध कम्पनियों ने या उपर्युक्त (3) में उल्लिखित किसी भी भद्र पुरुष ने इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल या इसी अवधि के लिए किसी अन्य माल के लिए आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें ।

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आयात के लिए जिस माल के लिए आवेदन किया गया है और जिसके लिए उद्योग (विकास तथा अधिनियम) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त नहीं किए गए हैं उसका प्रयोग नई वस्तुओं के निर्माण करने के लिए नहीं है ।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि यदि यह लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है तो हमारे कारखाने में माल का प्रयोग केवल कच्चे माल अथवा अतिरिक्त के रुप में उपयोग के लिए किया जाएगा और इस का कोई भी भाग किसी अन्य पार्टी को बेचा नहीं जाएगा या किसी अन्य पार्टी द्वारा प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि जहां तक मुझे/हमें पता है तथा विश्वास है उपर्यक्त विवरण सत्य तथा सही है । मुझे/हमें यह भी ज्ञात है कि दिए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें स्वीकृत किए गए लाइसेंस को, यदि उसमें निहित कोई भी विवरण अथवा तथ्य गलत अथवा झूठा पाया जाता

है तो मामले से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सरकार द्वारा थोपे गए जुर्माने के अतिरिक्त इसे रद्द किया जा सकता है।

दिनांक हस्ताक्षर

साफ अक्षरों में नाम

ओहदा.....

निवास स्थान

टिप्पणी.—आवेदकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व वर्तमान अवधि के लिए लाइसेंस निदेशों को अच्छी तरह पढ़ लें।

भाग—2

(सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन खंड—प्रशासन द्वारा दो प्रतियों में भरा जाना है)

1. **आयात के लिए अनुशासित माल के ब्योरे**

(1) स्थापित क्षमता के अनुसार, मात्रा/संख्या में आवश्यकताएं।

(2) स्थापित क्षमता के अनुसार मूल्य (लागत बीमा भाड़ा) में आवश्यकताएं।

(3) आयात के लिए अनुशासित मात्रा/संख्या।

(4) आयात के लिए अनुशासित मूल्य (लागत बीमा भाड़ा)

(5) अन्तिम उपयोग

2. क्या आवेदक नया या विद्यमान एकक है ?

*इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा प्रमाणित

अनिवार्यता देखें उनका पत्र सं०

उप विकास आयुक्त

सहायक विकास आयुक्त

कृते विकास आयुक्तसान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन खण्ड

*यह सान्ताक्रूज निर्यात प्रगमन खंड द्वारा भरा जाना है।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974